रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2015/फाल्गुन 1, 1936
No. 423] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2015/PHALGUNA 1, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2015

का.आ. 590(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, नया नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, कोका वन्यजीव अभ्यारण, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अभ्यारण और पार्क कहा गया है, महाराष्ट्र में गोंदिया और भंडारा जिलों में अवस्थित हैं;

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना डब्ल्यूएलपी.0913/सी.आर.316/एफ-1 तारीख 12 दिसंबर, 2013 द्वारा यथा अधिसूचित अभ्यारण्य तथा पार्क से मिलकर, जो नवेगांव – नागजीरा व्याघ्र आरक्षिती को अभ्यांतर और संकटपूर्ण व्याघ्र निवास के रूप में घोषित किया था;

और यह अभ्यारण और पार्क संपन्न पक्षी व़न्दों के लिए जाना जाता हैं पक्षियों की लगभग 312 प्रजातियां, जिसके अंतर्गत प्रवासी और जल पक्षी भी हैं, संपूर्ण वर्ष में यहां भारतीय उद्भव की क्षेत्रीय पक्षियों की संख्या, यह क्षेत्र सारस क्रोंच का प्रजनन के लिए अभिलिखित है, मधुक्षयेन, नागिन बाज, शिकारी बाज, ग्रे हेडड मछली बाज, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिकारी पक्षियों के लिए ज्ञात है;

और क्षेत्र में अत्यधिक उच्च प्राणीजात और वनस्पतिजात विविधताएं हैं जिसमें स्तनपायियों की लगभग 72 प्रजातियां, सरीसृप की लगभग 48 प्रजातियां और उभयचरों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं तथा यह क्षेत्र वनस्पति जात की दक्षिणी उष्ण कटबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का प्रतिनिधित्व करता है;

और क्षेत्र, महत्वपूर्ण वन्यजीव जैसे व्याघ्र, तेन्दुआ, भलोथ बियर, जंगली कुत्तों, गौर, चीतल, सांभर और नीलगाय भी महत्वपूर्ण है;

और उपर्युक्त अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान के अत्यधिक सामीप्य मानव के आवास हैं और विकासात्मक क्रियाकलाप चल रहे हैं, ऐसे क्रियाकलापों पर उचित रक्षोपाय और नियंत्रण की अपेक्षा आवश्यक है;

और यह आवश्यक है कि नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, नया नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, कोका वन्यजीव अभ्यारण, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के चारो ओर के क्षेत्र को पारस्थितिकी और पर्यावरण के द़ष्टिकोण से एक पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित किया जाए जिसकी विस्तार एवं सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा1 में निर्दिष्ट हैं और उद्योगों अथवा उद्योगों के वर्गों के संचालनों तथा प्रक्रियाओं को कथित पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में प्रतिशोध किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, नया नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, कोका वन्यजीव अभ्यारण, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र को नवेगांव - नागजीरा पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 1976.125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और जिसमें गोदिया और भंडारा जिलो के मोहादी और लखादी तालुक के गोरेगांव, गोंदिआ, सडक अर्जुनी, दीओली, अर्जुनी, मोरगांव, भण्डारा, सकोली के कतिपय गांव हैं । पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के विवरण उपाबंध 1 में दिए गए हैं ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध 2** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना में अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध 3** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर और इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) और नवेगांव - नागजीरा व्याघ्र आरक्षिती का मध्यवर्ती परिक्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन का भागरूप होगा और व्याघ्र आरक्षिती योजना भी आचंलिक महायोजना को तैयार करने के दौरान विचार में लिया जाएगा ।

(3) आंचलिक महायोजना निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य के विभागों के सम्यक् अंतर्वलन से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) नगर विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिक;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित किया गया है ।

(4) महायोजना विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि अधिसूचना के अधीन प्रतिबंधित न हो: परंतु आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों की क्षमता की वृद्धि करने और पारिस्थितिकीय अनुकूल विकास के लिए होंगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 12, सं0 18, सं0 24, सं. 37 और सं. 40 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण,

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं,

परंतु यह और कि जनजातीय तथा गैर-जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और नवेगांव, नागजीरा वन आरक्षिती के मध्यवर्ती परिक्षेत्र प्रबंध योजना के अनुसार अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतो.**-आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार उन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए जो की ऐसे स्थलों के लिए हानिकारक है, मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन .—**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जिसमें आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा महाराष्ट्र सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा तथा पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोका वन्यजीव अभ्यारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत .-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा और उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों .-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी मानव निर्मित विरासतों भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों, उप क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र शासन का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियामों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियामों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियामों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन**.— परिवहन की यानीय क्रियाकलाप आवास के अनुकूल विनियमित होंगे और इस संबंध् में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अिधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होनेऔर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदीजोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विध्मान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां –** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई लकड़ी आधारित उद्योग का स्थापन अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह कि विद्यमान कास्ट आधारित उद्योग तब तक चालू रह सकेंगे जब तक कि उन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध न कर दिया जाए ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, नया नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, कोका वन्यजीव अभ्यारण, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर ईंट तैयार करने के किसी उद्योग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी, जिनमें मिट्टी की खुदाई मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए और व्यक्तिगत उपभोग के लिये देशी टाइल्स और ईंटों का उत्पादन है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सी) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना	**पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में नए अथवा विद्यमान आरा मिलों के विस्तारण को अनुमति नहीं हैं।**
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	**नए अथवा विद्यमान प्रदुशणकारी उद्योग का विस्तार पारिस्थितिकीय संवेदी जोन मे अनुज्ञात नही है।**
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	**लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।**
(5)	नए बृहत जल वियुत परियोजना का स्थापना	**पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (101 किलोवाट से 2000 तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।**
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	**लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।**
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	**लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।**
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	**लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।**
(9)	नया अतिक्रमण और उनका विनियमन	13 दिसंबर, 2005 के पश्चात् **प्रतिषिद्ध**
(10)	सिंचाई विभाग द्वारा जल पल्वित क्षेत्र पट्टा	अभ्यारण्यों और उद्यानों की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर सरकारी टैंकों में से जल पल्वित क्षेत्र
(11)	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक कि उन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध न किया जाए ।

विनियमित क्रियाकलाप		
(12)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन	नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगे ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्ति अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पारा 3 के उप पारा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने को अनुज्ञात होंगे । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
(14)	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुमेय नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(16)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, नया नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण, कोका वन्यजीव अभ्यारण, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान से 500 मीटर के भीतर नई उच्च टेंशन पारेषण लाइनों को बिछाने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू नियमों के तहत विनियमित।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और उसमें कमी करने के लिए के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।

(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लागू नियमों के तहत विनियमित।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू नियमों के तहत विनियमित।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू नियमों के तहत विनियमित।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू नियमों के तहत विनियमित।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
(25)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण	वन्यजीव अभ्यारण/राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी संग्रहण केंद्र को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(26)	वायु और यानिक प्रदूषण	लागू नियमों के तहत विनियमित।
(27)	होटलों और लॉजों के परिसरों में बाड लगाना	लागू नियमों के तहत विनियमित।
(28)	दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	लागू नियमों के तहत विनियमित।
(29)	मोबाइल टावर	शीर्ष पर संरक्षण प्रणाली के साथ अनुज्ञात किया जाएगा ।
(30)	फर्नीचर मार्ट	वन विभाग द्वारा विनियमित किया जाएगा ।
(31)	मछली पकड़ना	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में/जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंध समिति की सिफारिशों के अनुसार
(32)	पुराने टैंकों को गहरा करना	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में/जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंध समिति की सिफारिशों के अनुसार
(33)	खोखले वृक्ष	किसी खोखले वृक्ष को काटना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा
(34)	जलाशयों/टैंकों में न्यूनतम भंडारण	न्यूनतम भंडारण का अनुरक्षण किया जाएगा
(35)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन	लागू नियमों के तहत विनियमित।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
(36)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू नियमों के तहत अनुज्ञात।
(37)	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(38)	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(39)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

(40)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(41)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	जैविक गैस, सौर प्रकाश को बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलक्टर, गोंदिया - अध्यक्ष;

(ख) जिला कलक्टर, भंडारा का प्रतिनिधि – सदस्य;

(ग) जिला कलक्टर, बुलढाना का प्रतिनिधि – सदस्य;

(घ) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(ड.) प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण बोर्ड - सदस्य;

(च) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर नियोजक - सदस्य;

(छ) पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(ज) पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के क्षेत्र से, प्रत्येक दशा में एक वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(झ) उप वन संरक्षक, भंडारा - सदस्य;

(ञ) उप वन संरक्षक, गोंदिया – सदस्य-सचिव ।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) रा.स्त.पा.सं.जो.मां.स. उसके कार्यकलापों पर 31 मार्च तक की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट उक्त वर्ष 30 जून तक पर्यावरण, वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय सरकार को **उपबंध 4** में दिए गए रूप विधान के अनुसार प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या विषय-वस्तु से संबंधित विधि का कोई अन्य न्यायालय द्वारा पारित कोई विद्यमान आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/9/2014—ईजेडएस—आरई]

डॉ जी. वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक ''जी''

उपाबंध I

प्रस्तावित नागजीरा पारिस्थिकीय संवेदी जोन, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राश्ट्रीय उद्यान की चार दीवारी का विवरण

संवेदनशील जोन की चार दीवारी मांडवी गांव नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य से शुरू होती है, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान और नवे गांव वन्यजीव अभयारण्य नाले के पार और आरएफ चार दीवारी अक्षांश 21'13''12 और दक्षांश 79'43''14 और उत्तर पूर्व दिशा की और झुकती है। तब ये उत्तर दिशा से पंजारा गांव के नाले को पार कर झुकती है। तब यह उत्तर दिशा नाले के साथ करडी गांव की चार दीवारी तक है। तब ये पूर्व दिशा सीतापर गांव नाले के पार तक मुड़ती है। तब यह उत्तर पूर्व दिशा नाले के साथ बोपेश्वरगांव तक जाती है। तब यह उत्तर दिशा राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग लोधी टोला गांव की चार दीवारी तक जाती है। तब यह दक्षिण—पूर्व दिशा ओर राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर मैंधा गांव तक जाती है। तब यह उत्तर पूर्व दिशा में रोड़ के साथ थाने गांव तक जाती है। तब यह उत्तर पूर्व दिशा रोड़ के साथ थाने गांव, गांव और उत्तर दिशा खामड़ी गांव तक जाती है। तब यह पूर्व नाले के साथ मुड़ती है और आरएफ चार दीवारी रूशमपुर गांव की चार दीवारी तक जाती है। तब यह उत्तर—पूर्व दिशा में नाले के साथ मुड़ती है और नीम गांव, गांव की चार दीवारी तक जाती है। तब यह उत्तर—पश्चिम दिशा के साथ नाले से रेलवे लाईन और आगे पूर्व दिशा में रेलवे लाईन के साथ नवां टोला गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण—पूर्व के साथ नाले तक जाती है और पंगडी तालव तक जाती है। तब यह दक्षिण दिशा नाले के साथ गमधो तलाब तक जाती है। तब यह पूर्व दिशा नहर पार हरबी टोला गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण दिशा रेलवे लाईन पार कर नाले के साथ जनूटोला (पीपल टोला) गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण दिशा रोड़ के साथ मुंडीपार गांव की चार दीवारी तक जाती है। तब यह पूर्व नाले के साथ और दक्षिण—पूर्व दिशा को पार करते हुए राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग और नाले के साथ नींबाटोला गांव की चार दीवारी तक जाती है। तब यह दक्षिण—पश्चिम दिशा से मुड़ती है और आरएफ कॉम्पेंट नम्बर 527 से काजलवानी गांव की चार दीवारी तक जाती है। तब चार दीवारी आरएफ के साथ मारागंग्सुध नाला और पूर्व हिल प्वाइन्ट नम्बर 397 तक जाती है। तब यह दक्षिण से पहाडी बिंदु 382 और आगे पश्चिम और दक्षिण—पूर्व गांव जुन्जारीटोला तक जाती है। तब चार दीवारी नाले के पीछे दक्षिण दिशा में जमुनापुर गांव और वजाटोला गांव को पार करती है। तब यह पूर्व दिशा की तरफ से गोताबोदी गांव की चार दीवारी तक जाती है। तब चार दिवारी नहर को पार कर और राष्ट्रीय राजमार्ग दीओरी से चीचगढ़ दक्षिण दिशा में और आगे राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर — 6 को पार करती है। इस बिन्दु से यह पूर्व दिशा नाले के साथ गांव महाजनटोला तक जाती है। तब यह दक्षिण पूर्व दिशा पुराने आरएफ सीमा के साथ तोयगोन्डी गांव तक जाती है। इस बिन्दु से यह बाग, नदी को छुती है और दक्षिण—पश्चिम दिशा में बाग, नदी से फूटाना तालाब तक जाती है। तब यह पूर्व दिशा के साथ आरएफ सीमा और राज्य सीमा छत्तीसगढ़ तक जाती है। तब यह पश्चिम दिशा से बोडालैंड और आगे दक्षिण दिषा में धनोरी गांव सीमा के साथ आरएफ सीमा तक जाती है। यह पूर्व दिशा से केशोरी गांव के साथ आरएफ सीमा तक जाती है। तब यह दक्षिण—पश्चिम दिशा से रेहाली गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण दिशा नाले के साथ पावनी गांव और यह पश्चिम दिशा गद्धावी नदी की तरफ मुड़ जाती है। तब यह दक्षिण दिशा जिला सीमा और चोर नदी को छूती है। तब सीमा उत्तर—पश्चिम दिशा की और मुड़ती है और चोर नदी से अक्टा गांव को छूती है। तब ट्रेक इटाडो झील की सीमा के साथ गद्धावी नदी को पार करती है और यह दक्षिण पूर्व दिशा से गंधारी गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण—पश्चिम दिशा से कर्णडाली गांव और गंद्धावनी नदी के साथ आरएफ सीमा को छूती है। तब यह उत्तर—पश्चिम दिशा को पार कर गद्धावी नदी और गद्धावी नदी से सुबान गांव तक जाती है तब यह दक्षिण—पश्चिम दिशा से दिनकर नगर गांव और उत्तर दिशा के साथ गद्धान गांव तक जाती है। तब यह पहाड़ी बिन्दु नम्बर 537, 448, 468 और 391 को पार कर नवे गांव, कोहाल गांव रोड और नवे गांव झील को छूती है। तब यह नवे गांव झील की सीमा के साथ और बोन्डे गांव में मिलती है। तब यह पश्चिम दिशा के साथ कार ट्रेक हल्बीतोली गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण पश्चिम दिशा और रेलवे लाईन को पार कर नाले के साथ बर्शीटोला गांव तक जाती है। तब यह उत्तर दिशा के साथ बुर्शीटोला से भीभीखरकी रोड़ के साथ आरएफ सीमा से सलाई गांव तक जाती है। तब यह समान्तर रेलवे लाईन उत्तर पूर्व दिशा से और पूर्व दिशा की रेलवे लाईन को पार कर और आरएफ की सीमा को छूती है। तब यह उत्तर पूर्व दिशा के साथ नाला मीटिंग चुलबंद्ध नदी तक जाती है। तब यह उत्तर—पूर्व दिशा के साथ चुलबंगनदी को मुड़ती है और फूताला गांव

की सीमा से मिलती है। तब यह पश्चिम दिषा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से चार गांव आरएफ सीमा तक जाती है। तब यह दक्षिण दिशा के साथ चार गांव आरएफ सीमा और परसौदी गांव की सीमा को छूती है। तब यह चार गांव आरएफ सीमा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को पार करती है। तब यह राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 6 पूर्व दिशा के साथ नाला पहाड़ी गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण–पश्चिम दिशा के साथ नाला और चुलबंद्ध नदी को पार कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर मिलती है। तब यह दक्षिण के साथ चुलबंध नदी बोंडे गांव की सीमा को पार करती है। तब यह पश्चिम दिशा के साथ रोड़ से गिरोला गांव तक जाती है। तब ये उत्तर–पश्चिम दिशा के साथ नाला और पीम्पाल गांव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को छूती है। तब ये उत्तर–पश्चिम दिशा के साथ सड़क बाहमनी गांव सीमा तक जाती है। तब यह उत्तर पश्चिम दिशा के साथ नाला खेदनपुर गांव तक जाती है। तब यह दक्षिण–पश्चिम दिशा के साथ नाला किन्नी गांव तक जाती है। तब यह पश्चिम दिशा के साथ नाला और गोंगरेवाडा आरएफ सीमा तक जाती है। तब यह पश्चिम दिशा के साथ आरएफ सीमा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर मिलती है। तब यह उत्तर–पश्चिम दिशा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और नाला धार गांव की सीमा तक जाती है। तब यह पश्चिम दिशा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से भीलेवाडा गांव तक जाती है। तब यह पश्चिम दिशा के साथ सड़क कर्जखेड़ा गांव तक जाती है तब यह उत्तर दिशा के साथ रोड़ सीमा से सूर्यवाडा गांव तक जाती है। तब यह उत्तर दिशा के साथ रोड़ सीमा खामरी और बैलगांव तक जाती है। तब यह उत्तर दिशा के साथ रोड सीमा मांडवी गांव तक जाती है।

उपाबंध II

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र

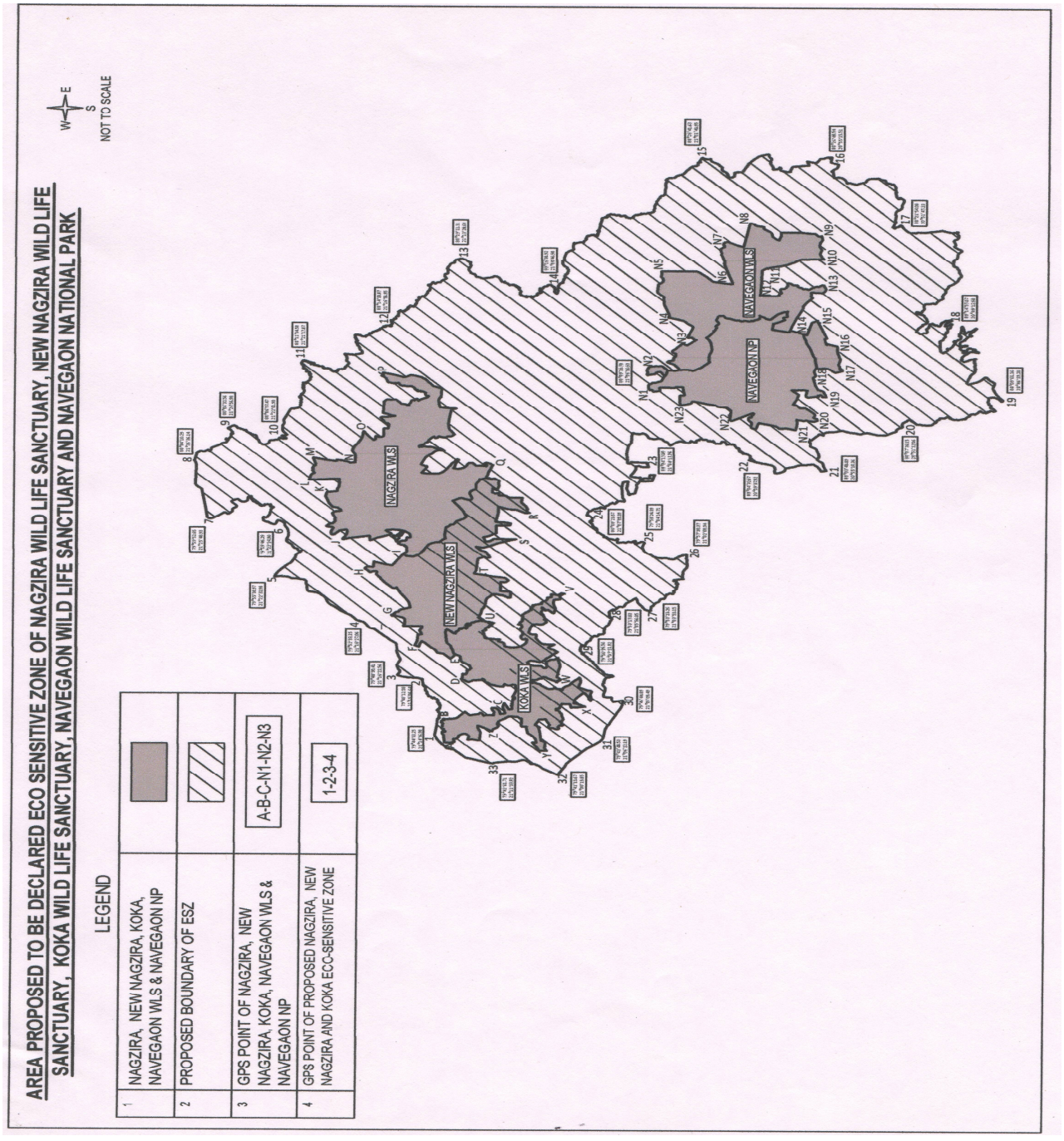

उपाबंध **II**

नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव वन्यजीव अभयाण्य, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के

पारिस्थिकीय संवेदी जोन की प्रस्तावित सीमा के विभिन्न बिन्दुओं की अवस्थिति

बिन्दु संख्या	अक्षांश	देशान्तर
1	21^0 14′ 26.90″ उत्तर	79^0 44′ 03.25″ पूर्व
2	21^0 15′ 06.64″ उत्तर	79^0 48′ 12.58″ पूर्व
3	21^0 16′ 22.56″ उत्तर	79^0 48′ 30.41″ पूर्व
4	21^0 16′ 19.1″ उत्तर	79^0 48′ 36.6″ पूर्व
5	21^0 19′ 50.6″ उत्तर	79^0 54′ 46.8″ पूर्व
6	21^0 21′ 24.7″ उत्तर	79^0 59′ 44.7″ पूर्व
7	21^0 23′ 14″ उत्तर	80^0 01′ 40″ पूर्व
8	21^0 26′ 15″ उत्तर	80^0 04′ 34.5″ पूर्व
9	21^0 24′ 22.5″ उत्तर	80^0 06′ 23″ पूर्व
10	21^0 22′ 01.90″ उत्तर	80^0 06′ 07.47″ पूर्व
11	21^0 18′ 35.2″ उत्तर	80^0 08′ 50.5″ पूर्व
12	21^0 14′ 22.5″ उत्तर	80^0 17′ 54.5″ पूर्व
13	21^0 13′ 28.03″ उत्तर	80^0 19′ 11.31″ पूर्व
14	21^0 08′ 46.98″ उत्तर	80^0 16′ 38.92″ पूर्व
15	21^0 01′ 40.95″ उत्तर	80^0 26′ 41.63″ पूर्व
16	20^0 55′ 15.51″ उत्तर	80^0 26′ 48.54″ पूर्व
17	20^0 51′ 47.23″ उत्तर	80^0 21′ 54.00″ पूर्व
18	20^0 49′ 12.68″ उत्तर	80^0 14′ 57.07″ पूर्व
19	20^0 46′ 39.20″ उत्तर	80^0 09′ 1.16″ पूर्व
20	20^0 51′ 12.56″ उत्तर	80^0 7′ 36.15″ पूर्व
21	20^0 55′ 18.36″ उत्तर	80^0 03′ 48.89″ पूर्व
22	21^0 04′ 11.96″ उत्तर	80^0 04′ 32.07″ पूर्व
23	21^0 04′ 11.96″ उत्तर	80^0 04′ 17.00″ पूर्व
24	21^0 07′ 05.39″ उत्तर	80^0 00′ 51.57″ पूर्व
25	21^0 04′ 14.71″ उत्तर	79^0 58′ 24.39″ पूर्व
26	21^0 02′ 08.94″ उत्तर	79^0 57′ 30.37″ पूर्व
27	21^0 03′ 53.15″ उत्तर	79^0 53′ 23.26″ पूर्व
28	21^0 05′ 56.05″ उत्तर	79^0 53′ 17.03″ पूर्व
29	21^0 07′ 21.02″ उत्तर	79^0 50′ 26.56″ पूर्व
30	21^0 05′ 09.49″ उत्तर	79^0 46′ 44.89″ पूर्व
31	21^0 06′ 12.19″ उत्तर	79^0 43′ 48.53″ पूर्व
32	21^0 08′ 19.85″ उत्तर	79^0 41′ 13.67″ पूर्व
33	21^0 11′ 33.82″ उत्तर	79^0 42′ 01.71″ पूर्व

नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नया नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर विभिन्न बिन्दुओं की अवस्थिति

बिन्दु संख्या	अक्षांश	देशान्तर
क	21^0 13′ 57.90″ उत्तर	79^0 43′ 32.99″ पूर्व
ख	21^0 14′ 02.23″ उत्तर	79^0 45′ 18.24″ पूर्व
ग	21^0 11′ 02.38″ उत्तर	79^0 46′ 28.94″ पूर्व
घ	21^0 13′ 12.77″ उत्तर	79^0 48′ 14.74″ पूर्व
ड.	21^0 14′ 29.84″ उत्तर	79^0 48′ 14.74″ पूर्व
च	21^0 15′ 30.81″ उत्तर	79^0 50′ 04.09″ पूर्व
छ	21^0 16′ 42.89″ उत्तर	79^0 52′ 57.34″ पूर्व
ज	21^0 18′ 03.96″ उत्तर	79^0 56′ 16.36″ पूर्व
झ	21^0 16′ 10.63″ उत्तर	79^0 57′ 26.40″ पूर्व

ञ	21^0 19′ 10.32″ उत्तर	79^0 58′ 70.70″ पूर्व
ट	21^0 20′ 00.13″ उत्तर	80^0 01′ 54.92″ पूर्व
ठ	21^0 20′ 53.44″ उत्तर	80^0 02′ 50.28″ पूर्व
ड	21^0 20′ 41.62″ उत्तर	80^0 04′ 27.27″ पूर्व
ढ	21^0 18′ 38.33″ उत्तर	80^0 04′ 07.08″ पूर्व
ण	21^0 18′ 15.15″ उत्तर	80^0 06′ 25.29″ पूर्व
त	21^0 17′ 19.30″ उत्तर	80^0 10′ 43.04″ पूर्व
थ	21^0 11′ 49.95″ उत्तर	80^0 04′ 01.02″ पूर्व
द	21^0 09′ 58.58″ उत्तर	80^0 00′ 31.83″ पूर्व
ध	21^0 10′ 37.36″ उत्तर	79^0 58′ 34.50″ पूर्व
न	21^0 12′ 37.86″ उत्तर	79^0 56′ 00.03″ पूर्व
प	21^0 12′ 07.06″ उत्तर	79^0 52′ 34.19″ पूर्व
फ	21^0 08 10.99″ उत्तर	79^0 54′ 32.97″ पूर्व
ब	21^0 08 29.63″ उत्तर	79^0 48′ 05.33″ पूर्व
भ	21^0 07 03.73″ उत्तर	79^0 46′ 18.18″ पूर्व
म	21^0 08 55.64″ उत्तर	79^0 42′ 59.65″ पूर्व
य	21^0 11 37.64″ उत्तर	79^0 44′ 26.05″ पूर्व

विभिन्न प्रस्तावित नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, नवे गांव वन्यजीव अभयाण्य, नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न बिन्दुओं का चार दीवारी स्थान

बिन्दु संख्या	अक्षांश	देशान्तर
N1	21^0 04′ 5.38″ उत्तर	80^0 09′ 36.11″ पूर्व
N2	21^0 04′ 9.69″ उत्तर	80^0 11′ 19.84″ पूर्व
N3	21^0 01′ 50.79″ उत्तर	80^0 13′ 20.28″ पूर्व
N4	21^0 03′ 12.98″ उत्तर	80^0 14′ 58.55″ पूर्व
N5	21^0 03′ 36.73″ उत्तर	80^0 18′ 21.60″ पूर्व
N6	21^0 0′ 5.43″ उत्तर	80^0 17′ 29.50″ पूर्व
N7	21^0 0′ 32.16″ उत्तर	80^0 20′ 31.37″ पूर्व
N8	20^0 59′ 14.98″ उत्तर	80^0 21′ 58.33″ पूर्व
N9	20^0 55′ 43.62″ उत्तर	80^0 21′ 3.59″ पूर्व
N10	20^0 55′ 34.87″ उत्तर	80^0 19′ 20.99″ पूर्व
N11	20^0 58′ 38.17″ उत्तर	80^0 18′ 26.94″ पूर्व
N12	20^0 58′ 42.14″ उत्तर	80^0 16′ 36.19″ पूर्व
N13	20^0 55′ 36.62″ उत्तर	80^0 17′ 27.00″ पूर्व
N14	20^0 57′ 12.11″ उत्तर	80^0 17′ 6.02″ पूर्व
N15	20^0 55′ 51.80″ उत्तर	80^0 14′ 50.18″ पूर्व
N16	20^0 54′ 51.51″ उत्तर	80^0 12′ 57.15″ पूर्व
N17	20^0 54′ 35.58″ उत्तर	80^0 11′ 6.37″ पूर्व
N18	20^0 55′ 53.53″ उत्तर	80^0 11′ 20.01″ पूर्व
N19	20^0 55′ 22.92″ उत्तर	80^0 9′ 12.51″ पूर्व
N20	20^0 55′ 47.57″ उत्तर	80^0 7′ 28.79″ पूर्व
N21	20^0 56′ 52.24″ उत्तर	80^0 6′ 46.80″ पूर्व
N22	21^0 0′ 4.42″ उत्तर	80^0 7′ 23.95″ पूर्व
N23	21^0 02′ 35.38″ उत्तर	80^0 8′ 31.50″ पूर्व

उपाबंध III

गांवों की सूची जोकि प्रस्तावित प्रर्यावरण संवेदनशील जोन में पड़ती हैं।

गौरेगांव तहसील, गौंडा जिला (9 गांव)

सौदलागौंदी, झम्भुलपानी, गौरादा, रोमाटोला, मालपुरी, बौदून्दा, अलेब्दार, असलपानी और नीम्बा।

गोंदिया तहसील और गोंदिया जिला (01 गांव)

जूनेवानी ऑफ टोटल

तीरोदा तहसील, गौंडा जिला (23 गांव)

कौदेबरा, घोटी, मंगीजारी, गोविन्दटोला, बालापुर, कोवेसर, बरदीपुर (खू), खूरसीपुरी, भजेपुर, कच्चेखानी (राठी), चोरखामारी, कामकाजरी (राठी), मरेगांव, सारा, नंदलपुर, लोनारा, कुल्पा, मल्काजारी, (राठी), अरबकासा (राठी), मरदागौन्दी, सीतेपुर, अलेजारी और नवेझारी।

सड़क अर्जुनी तहसील, गौडा जिला (95 गांव)

लिंडेजारी, धनौरी, बौदून्दा, थडेझारी (राठी), कोसामटोन्डी, छीछोटोला, सीतेपार, मलीजुन्गा, खोडशिवानी, हेती, पन्ढारी, मुरपर (लैंडेजारी), डून्डा, मुन्डापुरी, (घाटे), घाटेगांव, तमनी हेती, मुरपर राम, गौन्गल, रंगेपर 1, खादीपर, घोटी, पलासगांव (राम), भूसरीटोला, पट्टेकुरूा, खैरी, गिराला हेती, डोडके, बुद्धनगर, कोडामेडी, बोपाबोडी, जामभाडी, छीरछादी, डोनगरगांव (खाज), खजारी, गोपालटोली, डावा, वडेगांव, घाटबोरी (तेली), घाटबोरी (कोहली), सिन्दीपर, मुन्दीपर (घाट), डोगरगांव, खडकी, रंगेपर, डाली, पंडरवानी, भामनी, कन्हरप्याली, शिन्दा, कोयलारी, मोघारा, कोकना, खोबा, राका, बाकी, चिखाली, कनेरी, कोसमघाट, कोसबी, कोलारगांव, पलासगांव, डुगीपर, कोहालीटोला, शैलेधारनी, राजगुडा, दिओपयाली, पंधरवाली, कोहालीटोला, मैन्धाकी, मनैरी, सहाकेपर, उसीखेडा, प्रधानटोला, मंडीटोला, कटालवाही, कोहालीपर, महूली, सवान्गी, नैनपुर, पुरकाबोडी, शिवानटोला, बीरी, पुताली, खुर्शीपर, बुढाटोला, कोकना गोसाई, टिडका, सडक अर्जनी, कोहमारा, पारासोढ़ी, बोथाली, केसलवाडा, पिंडिकेपर, मन्गैजारी और मैहसवानी

दिओरी तहसील, गोंदिया जिला (77 गांव)

फूटाना, बोरगांव, शेरपर, छीछवाडा, शेदपर, सलाई, राजमडोन्गारी, बेलारगोन्डी, मुसलकासा, मलहारबोडी, मारामजोब, देवरी, धोबीसारद, मुरडोली, आमगांव, गोटाबोडी, मुडीपुर, बारगांव, जुन्जारीटोला, जमनापुर, नक्टी, तोयागोन्डी, छारभाटा, दीवारीनटोला, मोहनटोला, कुलचुआ, लिन्डीजोब, मुसरूभवाडा, कन्हालगांव, जतभवाड़ा, गैडेगांव, बोदलडंड, हल्दी, धनौरी, मोह`गांव, बैलगांव, पालनगांव, खमखूरा, किशोरी, निलाज, बौन्दे, गोनादी, पलासगां, सिन्दीबीरी, पदमपुर, मैसूली, सिंहगोनदोह, सारेगांव, रोपा, दोधारा, पंथरवानी, पिन्डिकपर, अलेवादा, कवलेवादा, परसोदी, मरपर (रीठी), धमधीटोला, सुकाडी, गोरारटोला, पलनडर, बालापर, मगरदोह, पालनदूर, मोहान्डी, वासानी, पाओनी रीठी, सुन्दरी, डोन्गरगांव, छिछागढ, वन्धारा, देवालगांव, भागी, सीरपुर, अमभोरा, कोसबी, कोटजम्भोरा, धोमधीटोला और मोरमादी रीठी।

अर्जुनी मोगांव तेहसील, गौडा जिला (27 गावं)

सुरबान, रामनगर, घोटनगांव, बोंदगांव, कदहोली, संजय नगर, गंधारी, चना/कोडका, पंधरवानी, परसोदी, कोहली, कन्होली, कोहलगांव, रणजीटोला, जब्बरखेडा, येरन्दी/डारे, देबेतकारी, पाओनी, जोम्भाली, येलोदी, रामपर, जसीनगर, चिन्गी, तिडका, चुटीया, सुरतोली और रनधरवानी रैत।

भण्डारा जिला का भण्डारा तहसील,

कोका, सुरपेवाडा, इन्जेवाडा, दूधारा, नवेगांव, चंदरपुर, सलेहेती, मनदावी, मनदनगांव, दूदमजारी, कितादी, गारादा (जंगाली), कावलीवाडा, कोधरली (रीठी) काक्दागांडी (रीठी), डावा, गंगालवाडा, धारगांव, सिन्गोरी, दिगोरी, पलादी, उसारागोदी, आमगांव टेकेपर (हा), राजदोह, टेकेपर, करजखेडा (नया) नेरोदी, सुरेवाडा, मतोरा, सलेहेती, (हमेशा) सीतेपर, वादीपर, धीवारवाडा, येतेवाली, सोलकुण्ड, कन्हालगांव, बैलगांव अजानी और चीतापुर

भण्डारा जिला शकोली तहसील, (18 गांवं)

खांबा, चारगांव, रेगेपर, जामबाधी, मलूटोला, डोन्गरगांव, वडेगांव, सतालवाडा, कीन्ही, मोखे, सीतेपर, तुडमापुरी, पत्थरी, बिरसी, उकारा, मुडीपर सडक, पंगाडी और अलेबदार

लखानी तहसील जिला भण्डारा (57 गांव)

चिकोलाबोडी, गोन्दसवारी, रेन्गेपर, कोठा, सिंगौरी (रीठी) राजेगांव, (मोर), सोनपुरी, माकरधोकादा, गिरोला जापानी, नीलागोन्डी, पारसपानी, खुर्शीपर, बम्पेवाडा, गिरोला रीठी, उमरजारी, आमगांव खुर्द, घनोद, आमगांव रीठी, पिन्डीकपर, खैरी, बोदरा, बामबालाजारी, पारसटोला, बोरगांव, इकौडी, उसागांव, सोनेगांव, चन्डोरी, पिटेजारी, किन्ही, गिदलपुर, निपारटोला, अटेगांव, माकीटोला, मेसलमेटा, गुदरी, मोहघाटा, दैतमन्गाली, मोरगांव, कैशलवाडा पावार, परसोडी, सराती, मुन्डीपर, (सिन्दीपर), सिन्दीपर, सैलीभाटा, छिछगांव, किटाडी, (बाराद किन्हीं), सोमेवाडा, खैरी, बामनी, जामदी, सोनेखेरी, कावलेवाडा, सोदीपुर, अलेसुर, नंदनगांव षिवानटोला और नवेगांव

मोहाडी तहसील जिला भण्डारा (13 गांव)

किशनपुर, जम्भोरा, कन्हरगांव (बोरी) पलोरा, बोन्डे, डोनगरदेव, खडकी, कैशलवाडा, नावा धीमरवाडा, बोरगांव, लेन्डेजारी, किटारी और नवेगांव

उपाबंध IV

पर्यावरण संवेदनशील जोन निगरानी कमेटी की कार्रवाही रिपोर्ट मसौदा

1. संख्या और सभा का दिनांक
2. सभा का कार्यवृत्त। मुख्य बिन्दुओं का वर्णन करें। अलग–अलग संलग्नक पर सभा का कार्यवृत्त संलग्न करें।
3. जोनल मास्टर प्लान के साथ पर्यटन मास्टर प्लान के तैयारी की स्थिति।
4. केसों का सारांश जो गलतियों को ठीक कर निपटाने के लिए और जोकि लैंड रिकोर्ड पर दिखती हैं।
5. विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
6. केसो का सारांक्ष जोकि कार्यवाही के लिए अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में नहीं आयें।
7. विवरण अनुलग्नक के रुप में अलग से संलग्न करें।
8. शिकायतों का सारांश जो अंतर्गत धारा 19 पर्यावरण (संरक्षक अधिनियम, 1986)
9. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 20th February, 2015

S.O. 590(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: — esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park hereinafter referred to us the Sanctuaries and Park are located in Gondia and Bhandara Districts in Maharashtra;

AND WHEREAS, the Sanctuaries and Park comprise the Core or Critical Tiger Habitat of Navegaon –Nagzira Tiger Reserve as notified vide notification of the State Government of Maharashtra number WLP. 0913/C.R.316/ F-1 dated the 12th December, 2013;

AND WHEREAS, the Sanctuaries and Park are known for rich avifauna with about 312 species of birds including migratory and water birds, a number of territorial birds of Indian origin stay here around the year, breeding of Saras Cranes have been recorded from this region, Honey Buzzard, Serpent Eagle, Hawk Eagle, Grey headed Fish Eagle are important raptors in the area;

AND WHEREAS, the area has very high faunal and floral diversity with about 72 species of mammals, about 48 species of reptiles and many species of amphibian are found and the flora of this area is represented by Southern tropical Dry Deciduous Forests;

AND WHEREAS, the area also supports important wildlife such as Tiger, Leoprad, Sloth Bear, Wild Dog, Bison, Cheetal, Sambhar and Neelgai;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuaries and National Park to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification adjoining the Nagzira WildLife Sanctuary, New Nagzira WildLife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary**,** Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of upto 12 kms from the boundary of Nagzira Wild life Sanctuary, New Nagzira Wild life Sanctuary, Koka Wild life Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park in the State of Maharashtra as the Navegaon – Nagzira Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 1976.125 square kilometres and certain villages in Goregaon, Gondia, Sadak Arjuni, Deoli, Arjuni Morgaon, Bhandara, Sakoli, Lakhani and Mohadi Talukas of Gondia and Bandhara Districts fall in the Eco-sensitive Zone and the boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitutude and longitude is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in adhering to stipulation given in this notification.

(2) The buffer zone of the Navegaon Nagzira Tiger Reserve shall form part of the Eco-sensitive Zone and the Tiger Conservation Plan shall also be taken into consideration during the preparation at the Zonal Master Plan.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(viii) Maharashtra State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(4) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constituted under paragraph 5, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 37 and 40 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas as per buffer zone management plan of the Navegaon Nagzira Tiger Reserve.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary**,** Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities and as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended for time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and made thereunder.

(12) **Industrial units**. -

(a) Establishment of new wood based Industries shall not be permitted within the proposed Eco-sensitive Zone:

Provided that the existing wood based Industries may continue unless prohibited under any law for the time being in force.

(b) Establishment of any Industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

(c) No brick preparing Industry shall be permitted within 1 kilometer from the boundary of Nagzira Wild life Sanctuary, New Nagzira Wild life Sanctuary, Koka Wild life Sanctuary, Navegaon National Park and Navegaon Wild life Sanctuary

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of

		country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New encroachment and their regularisation	Prohibited after 13th December, 2005.
10	Lease out of submergence area by irrigation department	Total ban on lease for farming in submergence area of Government Tanks within one kilometer from the boundary of the Sanctuaries and Park.
11	New wood based industry.	Establishment of new wood-based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Areas except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
13	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Areas: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission prior from the competent authority (c) Beyond one kilometer and upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State

		Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	The laying of new high tension transmission lines shall not be permitted within 500 meter from the boundary of Nagzira Wild life Sanctuary, New Nagzira Wild life Sanctuary, Koka Wild life Sanctuary, Navegaon National Park and Navegaon Wild life Sanctuary.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated For commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, shall be in accordance with the applicable regulations.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27	Fencing premises of hotels and lodges	Regulated under applicable laws.
28	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.
29	Mobile towers	With protection system on the top shall be permitted.
30	Furniture Mart	To be regulated by the Forest Department .
31	Fishing	As recommended by committee headed by District Collector / District Level Biodiversity Management Committee.
32	Old tank deepening	As recommended by committee headed by District Collector / District Level Biodiversity Management Committee.
33	Hollow trees	No hollow tree shall be permitted to be cut
34	Minimum storage /in water reservoir /tanks.	Minimum storage shall be maintained.
35	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted activities:		
36.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all	Shall be actively promoted.

	activities.	
40.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Monitoring Committee, which shall comprise of, the following, namely:-

(a) District Collector, Gondia - Chairman

(b) representative of District Collector, Bhandara - Member

(c) representative of District Collector, Buldhana,- Member

(d) a representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case – Member

(e) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member

(f) Senior Town Planner of the area - Member

(g) a representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra – Member

(h) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case- Member

(i) Deputy Conservator of Forest, Bhandara – Member

(j) Deputy Conservator of Forest, Gondia – Member Secretary

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/9/2014-ESZ-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Description of Boundaries of proposed ESZ of Nagzira, New Nagzira Wild Life Sanctuary, Koka Wild Life Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary And Navegaon National Park .

Eco Sensitive Zone boundary starts from Mandavi village in the western side of Nagzira Wild life Sanctuary, New Nagzira Wild life Sanctuary, Koka Wild Life Sanctuary, Navegaon National Park and Navegaon Wildlife Sanctuary across nala and RF boundary bearing latitude 21'13"12 and longitude 79'43"14 and bends the north east direction. Then it bends towards the north direction upto Panjara village across nala. Then it turns towards the north direction along nala upto Kardi village boundary. Then it turns towards the east upto Sitepar village across nala. Then it turns towards the north east direction along nala upto Bopeshwar village. Then it turns towards the north direction across the state highway upto Lodhitola village boundary. Then it turns towards the south east direction across the state highway upto Mendha village**.** Then it turns towards the north east direction along road upto Thanegaon village. Then it turns towards the north east direction along road upto Dongargaon village and bends towards the north direction upto Khamari village. Then it turns towards the east along nala and RF boundary upto Rustampur village boundary. Then it turns towards the north east direction along nala upto NImgaon village boundary. Then it turns towards the north west direction along nala upto railway line and again turns to the east direction along railway line upto Nawatola village. Then it turns towards the south east direction along nala upto Pangadi Talav. Then it turns towards the south direction along nala upto Gumdoh Talav. Then it turns towards the east direction across canal upto Halbitola village. Then it turns towards the south direction crossing railway line along nala upto Janutola (Pipartola) village. Then it turns towards the south direction along road upto Mundipar village boundary. Then it turns towards the east along nala and turns towards the south east direction crossing the state highway and goes along nala upto Nimbatola village boundaru. Then it turns towards the south west direction and passess through RF Comptt.No 527 upto Kazalwani Village Boundary. Then the boundary passes through RF along the Maramsud Nala and bends towards the east in zigzag manner near hill point 397. Then it bends towards the South up to hill point 382 and again turns towards the West and move towards the South east upto village Zunjaritola. Then the boundary follows Nala in the south direction upto Jamnapur village and passes through village.

Wazatola. Then it bends towards to the east upto Gotabodi village boundary. Then the boundary crosses the river and State highway Deori to Chichgarh in the south direction and again it crosses National Highway no. 6. From this point it turns towards the east direction along the nala upto village Mahajantola. Then it bends towards the south east direction along the old RF boundary upto Toyagondi village. From this point it touches Bagh River and bends towards the south west direction along the Bagh river upto Futana Tank. Then it bends towards the east direction along the RF boundary and touches State boundary of Chhattisgarh. Then it turns towards the west direction upto Bodaldand village and again bends towards the south direction upto Dhanori village boundary along RF boundary. It turns towards the east direction upto Keshori village along RF boundary. Then it bends towards the south west direction upto Rehali village. Then it bends towards the south direction along nala upto paoni village and turns to the west direction along Gadhavi river. Then it bends towards the south direction upto district boundary and touches to Chor river. Then the boundary bends towards the north west direction along nala and touches Chor river upto Akta village. Then the track passes along the boundary of Itiadoh lake upto the river Gadhavi and it bends towards the south east direction upto Gandhari village. Then it bends towards the south west direction upto Karandali village and touches Gadhavi river along RF boundary. Then it bends towards the north west direction crosses Gadhavi Nadi and goes along Gadhvi river upto Surban village. Then it bends towards the south west direction upto Dinkarnagar village and turns towards the north direction along nala upto Gothangaon village. Then it passes through hill point 537,448,468 & 391 crossing Navegaon Kohalgaon road and touches Navegaon Lake. Then it passes along the boundary of Navegaon Lake and meets the village Bonde. Then it turns towards the west direction along cart track upto Halbitoli village. Then it turns towards the south west direction and crosses Railway line goes along nala upto Bhursitola village. Then it bends towards the north direction along Bhursitola to Bhivkhidki road along RF boundary upto Salai village. Then it passes parallel to railway line towards the north east direction and bends towards the east direction crossing railway line and touches the RF boundary. Then it bends towards the north east direction along nala meeting Chulband River. Then it bends towards the north east direction along Chulband river and meet to the Futala village boundary. Then it turns towards the west direction along National Highway no. 6 upto Chargaon RF boundary. Then it turns towards the south direction along Chargaon RF boundary and touches to Parsodi village boundary. Then it passess along Chargaon RF boundary upto National Highway No. 6. Then it goes along National Highway no. 6 in the west direction along nala upto Pathari village Then it turns towards.

the south west direction along nala and meets to Chulband River crossing National Highway no. 6. Then it turns towards the south along Chulband river upto bonde village boundary. Then it turns towards the west direction along road upto Girola village. Then it turns towards the north west direction along nala and touches to National Highway no.6 near Pimpalgaon village. Then it bends towards the north west direction along road upto Bamhni village boundary. Then it turns towards the north west direction along nala upto Khedepar village. Then it turns towards the south west direction along nala upto Kinhi village. Then it turns towards the west direction along nala upto Gonglewada RF boundary. Then it bends towards the south direction along RF boundary and meets to National Highway no.6. Then it turns towards the north west direction along National Highway no. 6 and nala upto Dhargaon village boundary. Then it Passes towards the west direction along N.H.- 6 upto Bhilewada village. Then it Passes towards the West direction along Road upto Karjkheda village. Then it passess north direction along Road boundary upto Surewada Village. Then it passess the

north direction along Road boundary upto Khamari & Bellgaon village. Then it passess towards the north north direction along Road boundary upto Mandvi village.

Annexure II

Map of proposed Eco-sensitive Zone

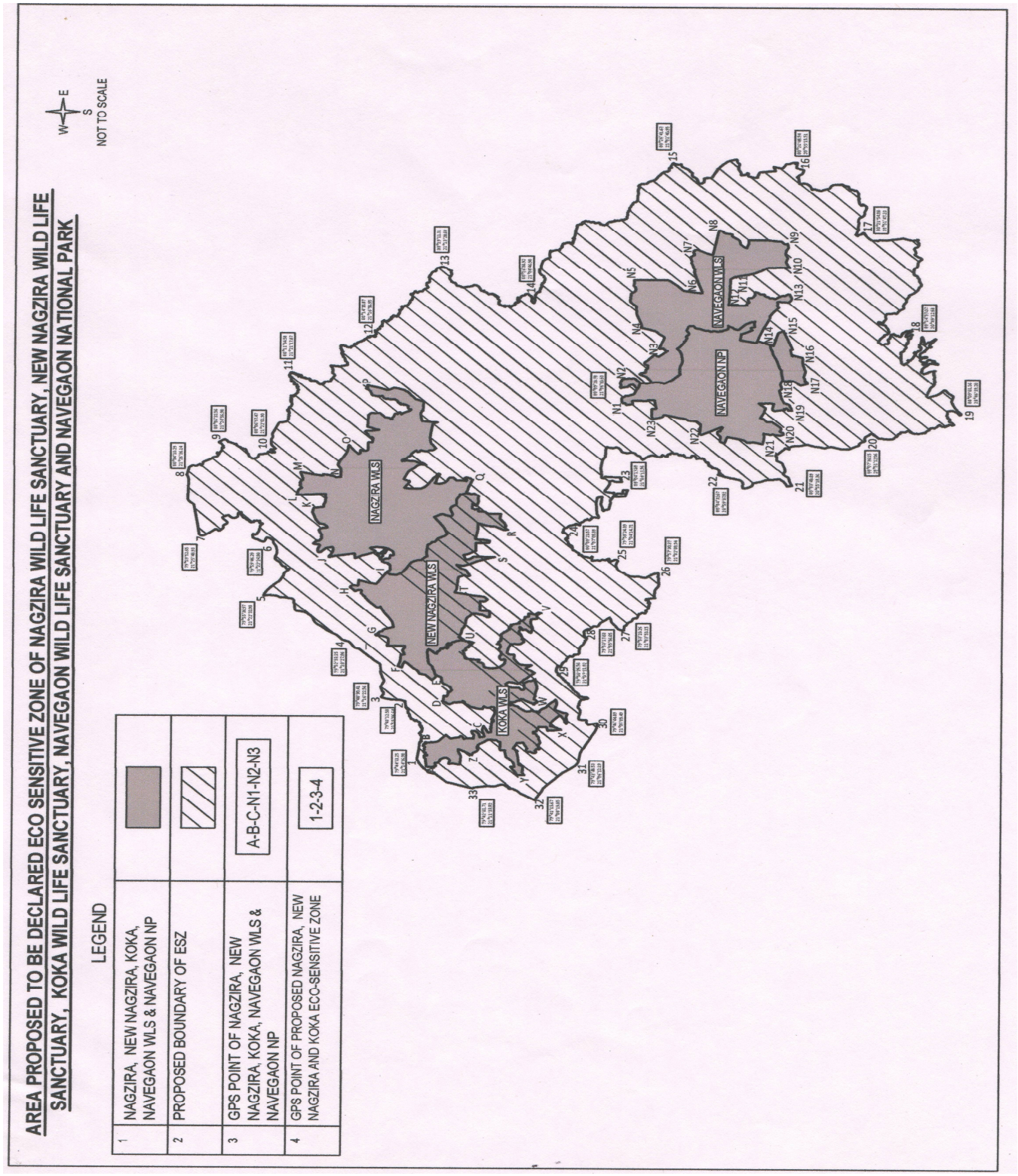

Annexure II – contd..

Location of Various Points on the Proposed Boundary of Eco-Sensitive Zone of Nagzira WildLife Sanctuary, New Nagzira WildLife Sanctuary, Koka Wildlife sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary And Navegaon National-Park

Point No.	Latitude	Longitude
1	21° 14' 26.90" N	79° 44' 03.25" E
2	21° 15' 06.64" N	79° 48' 12.58" E
3	21° 16' 22.56" N	79° 48' 30.41" E
4	21° 16' 19.1" N	79° 48' 36.6" E
5	21° 19' 50.6" N	79° 54' 46.8" E
6	21° 21' 24.7" N	79° 59' 44.7" E
7	21° 23' 14" N	80° 01' 40" E
8	21° 26' 15" N	80° 04' 34.5" E
9	21° 24' 22.5" N	80° 06' 23" E
10	21° 22' 01.90" N	80° 06' 07.47" E
11	21° 18' 35.2"N	80° 08' 50.5" E
12	21° 14' 22.5" N	80° 17' 54.5" E
13	21° 13' 28.03" N	80° 19' 11.31" E
14	21° 08' 46.98" N	80° 16' 38.92" E
15	21° 01' 40.95" N	80° 26' 41.63" E
16	20° 55' 15.51" N	80° 26' 48.54" E
17	20° 51' 47.23" N	80° 21' 54.00" E
18	20° 49' 12.68" N	80° 14' 57.07" E
19	20° 46' 39.20" N	80° 09' 1.16" E
20	20° 51' 12.56" N	80° 07' 36.15" E
21	20° 55' 18.36" N	80° 03' 48.89" E
22	20° 59' 7.82" N	80° 04' 32.07" E
23	21° 04' 11.96" N	80° 04' 17.00" E
24	21° 07' 05.39" N	80° 00' 21.57" E
25	21° 04' 14.71" N	79° 58' 24.39" E
26	21° 02' 08.94" N	79° 57' 30.37" E
27	21° 03' 53.15" N	79° 53' 23.26" E
28	21° 05' 56.05" N	79° 53' 17.03" E
29	21° 07' 21.02" N	79° 50' 26.56" E
30	21° 05' 09.49" N	79° 46' 44.89" E
31	21° 06' 12.19" N	79° 43' 48.53" E
32	21° 08' 19.85" N	79° 41' 13.67" E
33	21° 11' 33.82" N	79° 42' 01.71" E

Location of Various Points on the Boundary of Nagzira WildLife Sanctuary, New Nagzira WildLife Sanctuary, Koka Wildlife sanctuary,

Point	Latitude	Longitude
A	21° 13' 57.90" N	79° 43' 32.99" E
B	21° 14' 02.23" N	79° 45' 18.24" E
C	21° 11' 02.38" N	79° 46' 28.94" E
D	21° 13' 12.77" N	79° 48' 14.74" E
E	21° 13' 29.84" N	79° 50' 04.09" E
F	21° 15' 30.81" N	79° 50' 42.65" E
G	21° 16' 42.89" N	79° 52' 57.34" E
H	21° 18' 03.96" N	79° 56' 16.36" E
I	21° 16' 10.63" N	79° 57' 26.40" E
J	21° 19' 10.32" N	79° 58' 27.70" E

K	21º 20' 00.13" N	80º 01' 54.92" E
L	21º 20' 53.44" N	80º 02' 50.28" E
M	21º 20' 41.62" N	80º 04' 27.27" E
N	21º 18' 38.33" N	80º 04' 07.08" E
O	21º 18' 15.15" N	80º 06' 25.29" E
P	21º 17' 19.30" N	80º 10' 43.04" E
Q	21º 11' 49.95" N	80º 04' 01.02" E
R	21º 09' 58.58" N	80º 00' 31.83" E
S	21º 10' 37.36" N	79º 58' 34.50" E
T	21º 12' 37.86" N	79º 56' 00.03" E
U	21º 12' 07.06" N	79º 52' 34.19" E
V	21º 08' 10.99" N	79º 54' 32.97" E
W	21º 08' 29.63" N	79º 48' 05.33" E
X	21º 07' 03.73" N	79º 46' 18.18" E
Y	21º 08' 55.64" N	79º 42' 59.65" E
Z	21º 11' 37.64" N	79º 44' 26.05" E

Annexure II – contd..

Location of Various Points on the Boundary of sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary And Navegaon National-Park

Point	Latitude	Longitude
N1	21º 04' 5.38" N	80º 09' 36.11" E
N2	21º 04' 9.69" N	80º 11' 19.84" E
N3	21º 01' 50.79" N	80º 13' 20.28" E
N4	21º 03' 12.98" N	80º 14' 58.55" E
N5	21º 03' 36.73" N	80º 18' 21.60" E
N6	21º 0' 5.43" N	80º 17' 29.50" E
N7	21º 0' 32.16" N	80º 20' 31.37" E
N8	20º 59' 14.98" N	80º 21' 58.33" E
N9	20º 55' 43.62" N	80º 21' 3.59" E
N10	20º 55' 34.87" N	80º 19' 20.99" E
N11	20º 58' 38.17" N	80º 18' 26.94" E
N12	20º 58' 42.14" N	80º 16' 36.19" E
N13	20º 55' 36.62" N	80º 17' 27.00" E
N14	20º 57' 12.11" N	80º 14' 6.02" E
N15	20º 55' 51.80" N	80º 14' 50.18" E

N16	20º 54' 51.51" N	80º 12' 57.15" E
N17	20º 54' 35.58" N	80º 11' 6.37" E
N18	20º 55' 53.53" N	80º 11' 20.01" E
N19	20º 55' 22.92" N	80º 9' 12.51" E
N20	20º 55' 47.57" N	80º 7' 28.79" E
N21	20º 56' 52.24" N	80º 6' 46.80" E
N22	21º 0' 4.42" N	80º 7' 23.95" E
N23	21º 02' 35.38" N	80º 8' 31.50" E

Annexure III

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Goregaon Tahsil of Gondia District (09 villages)

Sodlagaondi, Jambhulpani, Garada, Ramatola, Malpuri, Bodunda, Alebedar, Asalpani and Nimba.

Gondia Tahsil of Gondia District (01 village)

Junewani of total.

Tiroda Tahsil of Gondia District (23 villages)

Kodebarra, Ghoti, Mangezari, Govindtola, Balapur, Kovesar, Berdipar (khu), Khursipar, Bhajepar, Kachekhani (Rithi), Chorkhamara, Kamkazari (Rithi), Maregaon, Sarra, Nandalpar, Lonara, Kulpa, Malkazari (Rithi), Arabkasa (Rithi), Mardagondi, Sitepar, Alezari and Nawejhari.

Sadak Arjuni Tahsil of Gondia District (95 Villages)

Lendezari, Dhanori, Bodunda, Thadezari (Rithi), Kosamtondi, Chichtola, Sitepar, Malizunga, Khodshivani, Heti, Pandhari, Murpar (Lendezari), Dunda, Mundipar (Ghate), Ghategaon, Temni Heti, Murpar ram, Gongle, Rengepar 1, Khadipar, Ghoti, Palasgaon (Ram), Bhusaritola, Patekurra, Khairi, Girola Heti, Dodke, Bhudhnagar, Kodamedi, Bopabodi, Jambhadi, Chirchadi, Dongargaon (Khaj), Khajari, Gopaltoli, Dawwa, Wadegaon, Ghatbori (Teli), Ghatbori (Kohli), Sindipar, Mundipar (Ghatb), Dongargaon, Khadki, Rengepar, Dalli, Pandharwani, Bahmni, Kanharpayli, Shenda, Koylari, Mogarra, Kokna, Khoba, Raka, Baki, Chikhali, Kaneri, Kosamghat, Kosbi, Kolargaon, Palasgaon, Duggipar, Kohalitola, Saledharni, Rajguda, Deopayli, Pandharwani, Kohalitola, Mendhaki, Maneri, Sahakepar, Ushikheda, Pradhantola, Manditola, Katalwahi, Kohalipar, Mahuli, Sawangi, Nainpur, Purkabodi, Siwantola, Birri, Putali, Khursipar, Bhadutola, Kokna Gosai, Tidka, Sadak Arjuni, Kohmara, Parasodi, Bothali, Kesalwada, Pindekepar, Mangezari and Mahswani.

Deori Tahsil of Gondia District (77 villages)

Futana, Borgaon, Sherpar, Chichewada, Shedepar, Salai, Rajamdongari, Belargondi, Masulkasa, Malharbodi, Maramjob, Deori, Dhobisarad, Murdoli, Amgaon, Gotabodi, Mundipar, Borgaon, Zunjaritola, Jamnapur, Nakti, Toyagondi, Charbhatta, Dhiwarintola, Mohantola, Kalchuwa, Lendijob, Masurbhawada, Kanhalgaon, Jethbhawada, Gadegaon, Bodaldand, Haldi, Dhanori, Mohgaon, Belgaon, Palangaon, Khamkhurra, Keshori, Nilaj, Bonde, Ghonadi, Palasgaon, Sindibirri, Padampur, Maisuli, Singandoh, Sarregaon, Ropa, Dhodhara, Pandharwani, Pindekepar, Alewada, Kawlewada, Parsodi, Murpar (rithi), Dhamditola, Sukadi, Garartola, Palandur, Balapur, Magardoh, Mohandi, Wasani, Paoni Rithi, Sundari, Dongargaon, Chichgarh, Wandhara, Dewalgaon, Bhagi, Sirpur, Ambhora, Kosbi, Kotjambhora, Dhamditola and Murmadi Rithi.

Arjuni Morgaon Tahsil of Gondia District (27 villages)

Surban, Ramnagar, Gothangaon, Bondgaon, Kadholi, Sanjay nagar, Gandhari, Channa/kodka, Pandharwani, Parsodi, Kholi, Kanholi, Kohalgaon, Ranjitola, Jabbarkheda, Yerandi/Dare, Dhabetekari, Paoni, Jambhali, Yelodi, Rampur, Zashinagar, Chingi, Tidka, Chutiya, Surtoli and Randharwani Rait.

Bhandara Tahsil of Bhandara District

Koka, Sarpewada, Injewada, Dudhara, Nawegaon, Chandrapur, Saleheti, Mandavi, Mandangaon, Dodmazari, Kitadi, Garada (Jangali), Kawlewada, Kodurli (Rithi), Kakdagondi (Rithi), Dawwa, Gangalwada, Dhargaon, Singori,

Dighori, Paladi, Usaragondi, Amgaon, Tekepar (Ha), Rajdoh, Tekepar, Karajkheda (Naya), Nerodi, Surewada Matora, Saleheti (Hamesha), Sitepar Wadipar, Dhiwarwada, Yetewahi, Sonkund, Kanhalgaon, Belgaon Ajani and Chitapur.

Sakoli Tahsil of Bhandara District (18 Villages)

Khamba, Chargaon, Rengepar, Jambhadi, Malutola, Dongargaon, Wadegaon, Satalwada, Kinhi, Mokhe, Sitepar, Tudmapuri, Pathari, Birsi, Ukara, Mundipar Sadak, Pangadi and Alebedar.

Lakhani Tahsil of Bhandara District (57 Villages)

Chikhalabodi, Gondsawari, Rengepar Kotha, Shingori (Rithi), Rajegaon (Mor), Sonpuri, Makardhokada, Girola Japani, Nilagondi, Paraspani, Khursipar, Bampewada, Girola Rithi, Umarzari, Amgaon Khurd, Ghanod, Amgaon Rithi, Pindekepar, Khairi, Bodra, Bamlazari, Parastola, Borgaon, Ekodi, Usagaon, Sonegaon, Chandori, Pitezari, Kinhi, Gidalpar, Nipartola, Aategaon, Makkitola, Masalmeta, Gudri, Mohghata, Daitmangali, Morgaon, Keshalwada Pawar, Parsodi, Sarati, Mundipar (sindipar), Sindipar, Salebhata, Chichgaon, Kitadi (Barad Kinhi), Samewada, Khairi, Bamni, Jamdi, Sonekhari, Kawlewada, Sodipur, Alesur, Nandangaon, Siwantola and Nawegaon.

Mohadi Tahsil of Bhandara District (13 Villages)

Kisanpur, Jambhora, Kanhargaon (Bori), Palora, Bonde, Dongardev, Khadki, Keshalwada, Nawa Dhimarwada, Borgaon, Lendezari, Kitari and Nawegaon.

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:—Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
5. Details may be attached as Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006
8. Details may be attached as separate Annexure.
9. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
10. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.